प्रेषक

महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1654/शि0का0लख0/2002 दिनांक: 8.8.2002

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह आया है कि नगरों के आस पास या बड़ी दूरी पर जहाँ अवस्थापन सुविधाए तेजी से विकसित हो रही है वैसे पाकेट/सेगमेंन्ट में लोग कृषि भूमि से इतर उपयोग हेतु कृषि भूमि पर बैनामा कराकर भारी करापवंचन कर रहे है। समय-समय पर इस आशय के प्रभावी निर्देश जारी हु ए है कि ऐसे समस्त पाकेट/सेगमेंन्ट को चिन्हित कर सर्किल रेट में उनके उचित बाजारू मूल्य निर्धारित किया जाय। यह भी संज्ञान में आया है कि कई जनपदों में ऐसे बहु त सारे सिगमेंन्ट/पाकेट अभी छूटे हु ए है जिनका सर्किल रेट में उचित बाजारी मूल्य निर्धारित नही किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में कठोर निर्देश दिये जाते है कि युद्ध स्तर पर सेगमेन्ट/पाकेट को चिन्हित कर लिया जाय जिनमें वर्तमान में विकसित अवस्थापना सुविधाओं व आर्थिक क्रियाकलापों के कारण कृषि भूमि से इतर उपयोग होना शुरू हो गया है। इनका सर्वेक्षण कराकर शीधातिशीध्र नियमानुसार सर्किल रेट में उचित बाजारू मूल्य निर्धारित किया जाय। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करने का कष्ट करें एवं अधोहस्ताक्षरी को फैक्स नम्बर 0522-308696 या 0522-308713 पर आख्या दें ।

भवदीय
ह0/-
(प्रभास कुमार झा)
महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तर प्रदेश, शिविर
लखनऊ।

संख्या 1654(1-7)/ शि0का0लख0/2002 दिनांक 8.8.2002

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, सचिव, कर एवं निबन्धन, विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशासन)/(पश्चिमी)/(विभागीय) उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, उत्तर प्रदेश।

6. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि समस्त उप निबन्धकों को सूचित करते हुए प्रभावी व कठोर अनुपालन सुनिश्चित करायें।

7. गार्ड फाइल, शिविर/मुख्यालय।

ह0/-

(प्रभास कुमार झा)

महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।